।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 309 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 14 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण 0.595 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र सं0 3072/12–1 दिनांक 24.06.2023.

महोदय,

वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में निम्न सूचना चाही गयी है जो निम्न प्रकार हैः–

1– प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रमाण पत्रो में प्रारूप सं0 अंकित किया जाए तथा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मार्ग दर्शिका 2014 के अनुसार प्रारूप 25 का प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय।

2– ग्राम सभा चूलाकोट तथा स्वर्का का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाय।

3– प्रस्ताव में लाभान्वित ग्रामों की अपूर्ण सूचना प्रेषित की गयी है। लाभान्वित ग्रामो के परिवारो की संख्या व उनकी जनसंख्या अंकित की जाय।

4– वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड द्वारा वृक्षो की सूची में वन पंचायत रतूड़ा दिखाया गया है जबकि प्रस्ताव के लैण्ड शैण्ड्यूल में सिविल भूमि/वन पंचायत दिखाया गया है जिससे वन भूमि की विधिक स्टेटस के सम्बन्ध में स्पष्ट नही हो पा रहा है कि प्रभावित वन भूमि का विधिक स्टेटस क्या है तथा भ्रामक की स्थिति बनी है। उक्त के सम्बन्ध में आप अपने सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी पिण्डर रेंज नारायणबगड़ व राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षक के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण कर भूमि की विधिक स्थिति स्पष्ट करे तथा निर्धारित प्रपत्र में सही अंकित कर सूचना इस कार्यालय को चार प्रतियों में ऑफ लाईन एवं ऑनलाईन उपलब्ध कराये।

5– प्रस्ताव में संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन न होने के प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही हो रहा है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त कमियो का निराकरण प्रकरण की गहनता से जांच करते हुए सुस्पष्ट सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– प्रस्ताव मूल में वापस।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 309 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रेषित कि बिन्दु स0 4 में वन भूमि विधिक स्थित के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग एवं राजस्व विभाग के उप निरीक्षक के साथ सम्पर्क कर स्थलीय निरीक्षण कर वृक्षो की सूची में भी सही वन भूमि की विधिक स्थिति स्पष्ट कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner